न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

संख्या : 107/2012

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हनुमान सहाय पुत्र छोटूराम जाति अहीर निवासी हीरापुरा तह0 जयपुर जिला जयपुर (राज0) ..... वादी

♠ बनाम ♠

1. मायादेवी पत्नि स्व0 महेश कुमार जाति छीपा निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल
2. रामबाबू पुत्र मूलचंद जाति कुम्हार निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील प्रतिवादीगण : श्री अजित जैन
दायर दिनांक--10.07.2012 निर्णय दिनांक : 07.06.2018

वादी ने कथन किया कि वादी के कब्जे काश्त व खाते की आराजी खसरा नं0 3538 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 3539 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 3540 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 3541 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 3542 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 3543 रकबा 0.15 है0 कुल किता 6 रकबा 8.05 है0 वाके ग्राम सीसवाली में स्थित है जिसमें मात्र खसरा नं0 3540 रकबा 0.34 है0 विवादित है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 वादी की विवादित भूमि कस्बा सीसवाली से लगी हुयी होने के कारण बेश कीमती भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है जबकि प्रतिवादी नं0 1 व 2 का विवादित आराजी से दूर-दूर तक कोई लेना देना नही है परन्तु प्रतिवादी नं0 1 व 2 उक्त आराजी पर अवैध निर्माण करने पर आमादा है। प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 04.07.2012 को रात में 2 बजे उत्तरी पश्चिमी कोर्नर पर नीव खोदना शुरू कर दिया है जिसमें पूर्व में दो दुकाने व एक कच्चा घर अवैध रूप से वादी की गैर मौजूदगी में निर्माण किया है। जिससे प्रतिवादी नं0 1 व 2 को स्वयं की खाता आराजी से बेदखल करवाने का वादी कानूनी अधिकार रखता है। अतः सादर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा वादी की विवादित खाता आराजी पर किये गये निर्माण पर प्रतिवादीगण स्वयं हटाये भविष्य में वादी की खाता आराजी पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.07.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजित

दिनांक 08.02.2018 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण कम 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्य मिथ्या व निराधार होना जाहिर किया है। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है के द्वारा दिनांक 08.12.2016 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट कमांक/भू0अ0/2016/4959 दिनांक 08.12.2016 में अंकन किया कि उक्त भूमि के उत्तर में मोर्डन स्कूल की पक्की दिवार बनाने हेतु वादी के खाते में स्थित खसरा नं0 3542 गै0 मुमकिन चाह जो कि स्थाई निशान है से सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा किया गया इस भूमि में पश्चिम में कोटा सीसवाली रोड है तथा प्रतिवादी का कब्जा कच्च मकान व पक्की दुकान सार्व0 निर्माण विभाग के खसरा नं0 3581 में बना हुआ है तथा खसरा नं0 3581 कोटा–सीसवाली रोड खसरा नं0 1872 के लगवा है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि प्रतिवादीगण द्वारा निर्मित पक्की दुकान सार्व0 निर्माण विभाग के खसरा नं0 3581 में बना हुआ है एवं खसरा नं0 3581 कोटा–सीसवाली रोड खसरा नं0 1872 के लगवा है। उक्त निर्माण से वादीगण की आराजी खसरा नं0 3540 रकबा 0.34 है0 में किसी प्रकार का व्यवधान नही है। अतः प्रकरण खारिज योग्य है। अतः वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कोम्प सीसवाली में सुनाया गया।